

समाहरणालय, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

(जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग)

पत्रांक.....५११...../सा०सु० दिनांक.....१३/११/१३

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

सेवा में,

अनुमण्डल पदाधिकारी,
मोतिहारी सदर/चकिया/पकडीदयाल/
सिकरहना/रक्सौल/अरेराज।
सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

विषय:-

चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में इन्दिरा गॉंधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के (सामान्य घटक) के अधीन कार्यालय व्यय मद में कुल रू०-20,25,000.00 (बीस लाख पच्चीस हजार) मात्र का उपावंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा बिहार, पटना के आवंटन आदेश सं०-39 दिनांक-28.06.13 द्वारा इन्दिरा गॉंधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के सामान्य घटक के अधीन वर्ष-2013-14 में कार्यालय व्यय मद में प्राप्त 25,00,000 (पच्चीस लाख) रू० आवंटन के विरुद्ध 20,25,000.00 (बीस लाख पच्चीस हजार)रू० का संलग्न विवरणी के अनुसार सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को उपावंटित किया जाता है।

क्र०सं०	प्रखंड/नगर निकाय/नगर पंचायत का नाम	पंचायत/वार्ड की सं०	उपावंटन	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	मोतिहारी	20	100000	
2	बंजरिया	13	65000	
3	तुरकौलिया	16	80000	
4	सुगौली	16	80000	
5	पीपराकोठी	06	30000	
6	कोटवा	16	80000	
7	ढाका	23	115000	
8	घोड़ासहन	14	70000	
9	बनकटवा	10	50000	
10	चिरैया	23	115000	
11	चकिया	18	90000	
12	मेहसी	13	65000	
13	कल्याणपुर	24	120000	
14	कैसरिया	17	85000	
15	पताही	15	75000	
16	पकडीदयाल	09	45000	
17	फेनहारा	06	30000	
18	तेतरिया	09	45000	
19	मधुवन	13	65000	

20	अरेराज	14	70000
21	संग्रामपुर	14	70000
22	हरसिद्धि	19	95000
23	पहाड़पुर	16	80000
24	रक्सील	13	65000
25	रामगढ़वा	16	80000
26	छौड़ादानो	15	75000
27	आदापुर	17	85000
	कुल योग	—	2025000

2. उपावटित राशि का व्यय निम्नांकित कार्यों पर किया जायेगा:-

(क) शिविर के माध्यम से पेंशन भुगतान की तैयारी में।

(ख) पेंशनधारियों के डाटा बेस/पंजी/प्रचार-प्रसार एवं आवागमन हेतु वाहन मद में

3. मॉग सं०-51 मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उप मुख्य शीर्ष-03- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम लघु शीर्ष-101 राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना उप शीर्ष 0101 इन्दिरा गॉंधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना विषय शीर्ष-13-01 कार्यालय व्यय विपत्र कोड सं०-P-2235031010101 तथा स्कीम कोड-WEL-5498 से विकलनीय होगा।

4. जिस मद में राशि आवंटित की गयी है उसी मद में खर्च किया जायगा।

5. उपावटित राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र सीधे महालेखाकार बिहार को भेजते हुए उसकी प्रति अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करायी जाय।

6. उपावटित राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी से की जाएगी।

7. उपावटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय एवं अतिरिक्त राशि की मॉग पूर्ण औचित्य के साथ ससमय की जाय।

उपर्युक्त निदेशों का कृपया दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाय।

अनुलनक-सभी प्रखंडों को उपावटित राशि की विवरणी (एक प्रति में)

विश्वासभाजन,

Rizwan
13/9/13

जिला पदाधिकारी,

पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

ज्ञापांक 511 सा०सु० दिनांक 13/9/13

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ प्रेषित।

Rizwan
13/9/13

जिला पदाधिकारी,

पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

ज्ञापांक 511 सा०सु० दिनांक 13/9/13

प्रतिलिपि:- निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

Rizwan
13/9/13

जिला पदाधिकारी,

पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

समाहरणालय, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी
(जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग)

क्र०सं०	ग्रखंड/नगर निकाय का नाम	पंचायत/ वार्ड की सं०	वॉछित बार कोड रीडर
1	2	3	4
1	मोतिहारी	20	9
2	बंजरिया	13	6
3	तुरकौलिया	16	7
4	सुगौली	16	7
5	पीपराकोठी	06	2
6	कोटवा	16	7
7	ढाका	23	10
8	घोडासहन	14	6
9	बनकटवा	10	4
10	चिरैया	23	10
11	चकिया	18	8
12	मेहसी	13	6
13	कल्याणपुर	24	11
14	केसरिया	17	8
15	पताही	15	7
16	पकडीदयाल	09	4
17	फेनहारा	06	2
18	तेतरिया	09	4
19	मधुबन	13	6
20	अरेराज	14	6
21	संग्रामपुर	14	6
22	हरसिद्धि	19	9
23	पहाड़पुर	16	7
24	रकसौल	13	6
25	रामगढ़वा	16	7
26	छौड़ादानो	15	7
27	आदापुर	17	8